

०।५५



२०/३/२०

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के अधिकता उप
नहीं। कस-कस कर बार-बार आवजे लगाई
गई। वकील अपीलान्ट उप नहीं आए। अतः
अपील अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज
की जाती है। पत्रावली निर्णित दक्षिण कर नम्बर
से कम की जाकर बादकमिल जिला अभिलेखा-
गार में जमा करवाई जावे। आदेश खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतलुजा)
श्रीगंगानगर

GPB 66-6-2012-2,00,000 F.

